न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 151/2023

अन्तर्गत धारा 88 **RT Act.**

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
पीरचंद पुत्र निम्बाराम जाति मेघवाल, निवासी रूपासरिया तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. निम्बाराम पुत्र नारणाराम 2. मूलाराम पुत्र निम्बाराम 3. मानाराम पुत्र निम्बाराम 4. रूपाराम पुत्र निम्बाराम नाबालिग जरिये सरंक्षक निम्बाराम पुत्र नारणाराम 5. गुडीदेवी पुत्री निम्बाराम 6. प्रेम पुत्री निम्बाराम 7. मानीदेवी पुत्री निम्बाराम 8. लीलादेवी पुत्री निम्बाराम 9. सुनिता पुत्री निम्बाराम जाति मेघवाल, निवासी रूपासरिया तहसील शिव, जिला बाड़मेर 10. तहसीलदार शिव

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता वादी — श्री बालाराम गोदारा।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 9 — श्री जेठाराम कुमावत।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 26.02.2024

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा रूपासरिया, तहसील शिव के खसरा नम्बर 942, 943 रकबा क्रमशः 0.0486, 34.3497 हैक्टेयर तथा मौजा शंभूसर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 927 रकबा 12.0434 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान् के हिस्से खुले हुए है। जिसमें वादी का 1/10 खातेदारी हिस्सा है। वादी को उक्त विवादित आराजी विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त विवादित आरजी के नामांतरकरण से राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना जांच किये ही वादी का नाम पीराराम पुत्र निम्बाराम अंकित कर दिया गया जबकि वादी का सही एंव वास्तविक नाम पीरचंद पुत्र निम्बाराम है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, विद्यालय अंकतालिका, पैन कार्ड आदि में उसका सही एवं वास्तविक नाम पीरचंद पुत्र निम्बाराम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में पीराराम पुत्र निम्बाराम के स्थान पर पीरचंद पुत्र निम्बाराम नाम घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 द्वारा जरिये अधिवक्ता ईकबाली जवाब प्रस्तुत करते हुए वादी का नाम पीराराम पुत्र निम्बाराम के स्थान पर पीरचंद पुत्र निम्बाराम किया जाना उचित बताया गया है। तहसीलदार शिव द्वारा जवाब पेश करते हुए वादी के नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है।

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया गया। वादी द्वारा अपना वास्तविक नाम पीरचंद पुत्र निम्बाराम होने के समर्थन में दस्तावेज यथा आधारकार्ड, पैन

Scanned with OKEN Scanner

विद्यालय अंकतालिका, राशनकार्ड आदि दस्तावेज पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किया गया।

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम पीराराम पुत्र निम्बाराम के स्थान पर पीरचंद पुत्र निम्बाराम होना घोषित करते हुए तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी अपनी बहस में वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तदनुसार नाम दुरस्ती हेतु सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम पीराराम पुत्र निम्बाराम दर्ज है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, विद्यालय अंकतालिका, राशनकार्ड आदि में वादी का नाम पीरचंद पुत्र निम्बाराम दर्ज है। वादी द्वारा अपने नाम की घोषणा के समर्थन में पेश बयान शपथ पत्र से भी वादी का नाम पीराराम पुत्र निम्बाराम के स्थान पर पीरचंद पुत्र निम्बाराम किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव द्वारा भी वादी के नाम दुरस्ती को उचित बताया गया है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम पीराराम पुत्र निम्बाराम के स्थान पर पीरचंद पुत्र निम्बाराम दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा रूपासरिया, तहसील शिव के खसरा नम्बर 942, 943 रकबा क्रमशः 0.0486, 34.3497 हैक्टेयर एवं मौजा शम्भूसर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 927 रकबा 12.0434 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम पीराराम पुत्र निम्बाराम के स्थान पर पीरचंद पुत्र निम्बाराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner